20-5-24 पत्रावली पेश हुई। वि० प्रार्थी ने लिखवाया
जाकर स्कूल-औषधालय में कार्य [illegible]
पत्रावली नकल से कम हो बाद तामील
पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो
में व्यस्त है। दिनांक.........................
को पेश हो।

रीडर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/78	06.09.2021	20-05-2024

उनवान

1:-शान्तीकौर पुत्री स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह पत्नी तीर्थसिंह उम्र 54 वर्ष जाति सिख निवासी लिवारी तहसील व जिला अलवर हाल निवासी खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर (राज.)

वादी

बनाम

1:-ठाकरीबाई पत्नी स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह उम्र करीब 82 वर्ष,
2:-बाबूसिंह पुत्र स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह उम्र करीब 45 वर्ष,
3:-दलीपसिंह पुत्र स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह उम्र करीब 43 वर्ष,
4:-बलवीरसिंह पुत्र स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह उम्र करीब 43 वर्ष,
5:-धारासिंह पुत्र स्व. थददासिंह उर्फ शददासिंह उम्र करीब 41 वर्ष जाति सिख निवासीयान ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर (राज.)
6:-राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार/उपपंजीयक अलवर जिला अलवर

प्रतिवादीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी/प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल ख.नं. 550 रकबा 39 ऐयर साबिक ख.नं. 419 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, हाल ख.नं. 552 रकबा 39 ऐयर साबिक ख.नं. 423 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 615/736 रकबा 3 बिस्वा, हाल ख.नं. 630 रकबा 42 ऐयर साबिक ख.नं. 394 रकबा 17 बिस्वा, 395 रकबा 17 बिस्वा, हाल ख.नं. 499 रकबा 19 ऐयर साबिक ख.नं. 635 रकबा 15 बिस्वा, हाल ख.नं. 741 रकबा 27 ऐयर, 742 रकबा 21 ऐयर, 743 रकबा 46 ऐयर साबिक ख.नं. 322 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, हाल ख.नं. 610 रकबा 55 ऐयर साबिक ख.नं. 415 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, हाल ख.नं. 618 रकबा 42 ऐयर साबिक ख.नं. 416 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, हाल ख.नं. 614 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

39 ऐयर साबिक ख.नं. 615 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, हाल ख.नं. 551 रकबा 19 ऐयर साबिक ख.नं. 422 रकबा 15 बिस्वा, हाल ख.नं. 722 एकबा 11 ऐयर साबिक ख.नं. 346 रकबा 9 बिस्वा, हाल ख.नं. 732/853 रकबा 18 ऐयर वाकै ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर (राज.) में स्थित है।

आराजी हाल ख.नं. 550 रकबा 39 ऐयर, ख.नं. 552 रकबा 39 ऐयर, 630 रकबा 42 ऐयर, 551 रकबा 19 ऐयर, 499 रकबा 19 ऐयर, 722 रकबा 11 ऐयर, 732/863 रकबा 18 ऐयर, 614 रकबा 39 ऐयर वाकै ग्राम लिवारी तहसील अलवर में वादिनी का 1/10 हिस्सा, तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 प्रत्येक का 1/10 – 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ला 5 का 5/10 हिस्सा है जो इसी कदर काबिज रहकर विवादित आराजी पर काश्त कर रहे हैं और खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी हाल ख.नं. 741 रकबा 27 ऐयर, 743 रकबा 46 ऐयर वाकै ग्राम लिवारी तहसील अलवर के 75/186 हिस्से में वादिनी का 1/10 हिस्सा, तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 प्रत्येक का 1/10 – 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ला 5 का 5/10 हिस्सा है, प्रतिवादी सं. 6 ला. 8 का 51/186 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9 का 60/186 हिस्सा है। हाल ख.नं. 742 रकबा 21 ऐयर के 1/3 हिस्से में वादिनी का 1/10 हिस्सा, तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 का 5/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 6 ला. 8 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 12 का 1/3 हिस्सा है। आराजी हाल ख.नं. 610 रकबा 55 ऐयर के 215/220 हिस्से में वादिनी का 1/10 हिस्सा, तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ला 5 का 5/10 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 10 का 5/220 हिस्सा है। आराजी हाल ख.नं. 618 रकबा 42 ऐयर के 160/165 हिस्से में वादिनी का 1/10 हिस्सा, तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 का 5/10 हिस्सा, प्रतिवादी स. 11 का 5/165 हिस्सा है। विवादित आराजी ग्राम लिवारी तहसील अलवर में स्थित है वादिनी, प्रतिवादी सं. 1 ला. 12 व तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला 19 उपरोक्त हिस्से अनुसार विवादित आराजी पर काबिज हैं। प्रतिवादी सं. 10 व 12 नाम का व्यक्ति ग्राम लिवारी में गत 50 वर्ष से नहीं है, उनके हिस्से की विवादित आराजी पर 50 वर्ष से वादिनी, तरतीबीप्रतिवादी य प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं।

यह है कि विवादित आराजी ख.नं. 742, 610 सालिम पर वादिनी, प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 व तरतीबीप्रतिवादी का कब्जा काश्त है। हाल ख.नं. 742, 610 पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 10 व 12 सहकाश्तकार दर्ज है इसलिये इनको पक्षकार दावा बनाया गया है। गत 50 वर्ष से प्रतिवादी सं. 10 टोपनसिंह पुत्र उद्योदास व प्रतिवादी सं. 12 बुद्धूसिंह पुत्र टेकूसिंह नाम का व्यक्ति व उनका कोई वारिस जाति सिख ग्राम लिवारी तहसील अलवर व उसके आसपास के क्षेत्र में नहीं है और ना किसी ने देखा व सुना है वो लापता या मृतक है चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम का इन्द्राज है इसलिये लापता या मृतक व्यक्ति को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया है। उनके हिस्से की आराजी तक उनके खिलाफ कोई अनुतोष वादिनी इस वादपत्र में नहीं चाहिए।

वादिनी के कुटुम्ब व परिवार का सजरा अनुसार थददासिंह उर्फ शददासिंह पुत्र स्व. राणासिंह के स्वामीबाई (मृतक) प्रथम पत्नी एंव ठाकरीबाई (जीवित) दूसरी पत्नी है उनकी प्रथम पत्नी स्वामीबाई(मृतक) के निम्न वारिस है 1:–बसन्तकौर (पुत्री) पत्नी प्रतापसिंह,

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

2:–ज्ञानीकौर (पुत्री) पत्नी हाकमसिंह 3:–शान्तीकौर (पुत्री) पत्नी तीर्थसिंह 4:–रूक्कीकौर (पुत्री) पत्नी हरपाल सिंह 5:–बबिताकौर (पुत्री) हुये थे तथा दूसरी पत्नी ठाकरीबाई (जीवित) से बाबूसिंह, दलीपसिंह, बलवीरसिंह, धारासिंह 04 पुत्रो को जन्म दिया गया कुटुम्ब व परिवार के सजरे के अनुसार थददासिंह उर्फ शददासिंह ने हिन्दू रीतिरिवाज से प्रथम शादी वादिनी व तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 की माता स्वामीबाई से की थी। स्वामीबाई का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादिनी व तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 है। थदासिंह उर्फ शदासिंह के नुफ्ते से स्वामीबाई ने पांच पुत्री वादिनी और तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 को जन्म दिया। उसके बाद स्वामीबाई के कोई संतान नहीं हुई तो थददासिंह उर्फ शददासिंह ने हिन्दू रीति रिवाज के विपरीत प्रतिवादी सं. 1 ठाकरीबाई के साथ दूसरी शादी कर ली। थददासिंह उर्फ शददासिंह के नुफ्ते से ठाकरीबाई ने प्रतिवादी सं. 2 ला. 5 को जन्म दिया है।

वादिनी व तरतीबीप्रतिवादी अपने ससुराल में रह रही है। विवादित आराजी की देखभाल वादिनी, तरतीबीप्रतिवादी के पिता थददासिंह उर्फ शददासिंह बुजुर्ग होने के नाते करते थे वादिनी के दादा राणासिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका इंतकाल विरासत सं. 350 राजस्व अभियान कैम्प उमरैण में दिनांक 11.05.1981 को वादिनी के पिता थददासिंह के नाम स्वीकार हुआ है। वादिनी व तरतीबीप्रतिवादी सं. 16 ला. 19 अनपढ़ है वादिनी के पिता थददासिंह की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 ने राजस्व कर्मचारी व सरपंच ग्राम पंचायत उमरैण से साजबांज होकर खिलाफ कानून मृतक थददासिंह के वारिसान की जांच किए बिना इन्तकाल सं. 562 दिनांक 30.05.1990 को पटवारी हल्का से दर्ज कराकर आईएलआर के आदेश वारिसान की जांच कार्यवाही की अवहेलना करके सरपंच ग्राम पंचायत ने थददासिंह के वारिसान की जांच किये बिना दिनांक 30.05.1990 को प्रतिवादी सं. 1 ला 5 के पक्ष में इंतकाल स्वीकार करा लिया। वादिनी एवं तरतीबीप्रतिवादी थददासिंह की कानूनन जायज वारिस हैं जिनके नाम थददासिंह का इन्तकाल विरासत नहीं हुआ है की जानकारी सन् 2005 में हुई तो प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 से वादिनी ने राजस्व रिकॉर्ड व इन्तकाल विरासत सं. 562 की दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 वादिनी से कहते रहे कि तुम्हारे हिस्से की विवादित आराजी को तुम जोत बोकर फसल प्राप्त कर रही हो, चार पांच माह पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड को सही कराकर तुम्हारे हिस्से की आराजी तुम्हारे नाम कराने का आश्वासन देते रहे और राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती कराने के लिए टालते रहे। प्रतिवादीगण ने कुछ आराजी विक्रय भी कर दी। वादिनी अपने भाईयों के आश्वासन पर विश्वास करती रही। दिनांक 02.03.2021 को वादिनी ने प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 में राजस्व रिकॉर्ड व इन्तकाल विरासत की दुरूस्ती कराने के लिए कहा तो वो साफ इंकार हो गये। दिनांक 06.06.2021 को वादिनी अपने हिस्से की विवादित आराजी में जुताई आदि कार्य काश्त कर रही थी तो प्रतिवादी एकराय और एक मश्वरा होकर विवादित आराजी पर आये, वादिनी को विवादित आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा करने व दीगर व्यक्तियों को रहन, वैय, हिब्बा आदि करने की धमकी दी। पड़ौसियों की समझाईश से इस घटना को टाला गया। प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते तो वादिनी को नापूर्ति होने वाली क्षति होती जिसकी पूर्ति द्रव्य में नहीं की जा सकेगी इसलिये यह वादपत्र प्रस्तुत है।

प्रथम दृष्टवा केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वादिनी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी ख.नं. 550 रकबा 39 ऐयर, ख.नं. 552 रकबा 39 ऐयर, 630 रकबा 42 ऐयर, 499 रकबा 19 ऐयर, 722 रकबा 11 ऐयर, 732/853 रकबा 18 एयर, 614 रकबा 39 ऐयर, ख.नं. 551 रकबा 19 ऐयर, ख.नं. 741 रकबा 27 ऐयर, 743 रकबा 46 ऐयर, ख.नं. 742 रकबा 21 ऐयर, ख.नं. 610 रकबा 55 ऐयर, ख.नं. 618 रकबा 42 ऐयर वाकै ग्राम लिवारी तहसील व जिला अलवर को रहन, बैय, हिब्बा आदि के जरिये किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे और वादिनी व तरतीबीप्रतिवादीगण के हिस्से कार्य काश्तकारी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की रूकावट और मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही जबरन बेदखल कर कब्जा करें, राजस्व रिकॉर्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 6 लगा0 15 बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये जिससे उनके विरूद्व एक तरफा कार्यावाही अमल मे ली गई एंव प्रतिवादी स0 1 लगा0 5 एंव 16 लगा0 19 की ओर से श्री जगदीश सतीजा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया उनको वास्ते जवाव काफी पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नही किया गया इससे उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुये जबाव बन्द किया जाकर एक तरफा वादी वहस सुनी गई वहस मे कथन किया कि:–अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 6 को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखने बावत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.09.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 एवं प्रतिवादी संख्या 16 लगा. 19 की ओर से श्री जगदीश चन्द सतीजा एडवोकेट की ओर से वकालतनामा पेश किया हुआ है। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 5 को जवाब प्रस्तुत किये जाने हेतु बार–बार मौके दिये जाने पर भी जवाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही करते हुऐ जवाव वंद कर वादी की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी के दादा राणासिंह की मृत्यु के पश्चात उसका इंतकाल विरासत सं. 350 राजस्व अभियान कैम्प उमरैण में दिनांक 11.05. 1981 को प्रार्थी के पिता थददासिंह के नाम स्वीकार हुआ। थददासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दो विवाह किये गये। जिनमें थददासिंह की पहली पत्नी प्रार्थी की माता स्वामीवाई थी, जिनकी मृत्यु के उपरान्त थददासिंह द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया। दूसरी पत्नी ठाकरीबाई जो जीवित है। पहली पत्नी स्वामीबाई से थददासिंह को प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 लगा. 19 का जन्म होकर जायज संतान प्राप्त हुई। उसके उपरान्त थददासिंह की दूसरी विवाहित पत्नी से अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 का जन्म होकर संतान प्राप्त हुई। जिनका प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में अंकित शजरे में अंकन किया हुआ है। थदद्वासिंह की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 द्वारा विरासत इंतकाल संख्या 562 दिनांक 30.05.1990 साजबाज होकर बिना वारिसान की जांच किये अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 के पक्ष में दिनांक 30. 05.1990 को स्वीकार करा लिया गया। प्रार्थी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 16 लगा. 19 थददासिंह की कानूनन जायज वारिस है। जिनके नाम थदद्वासिंह का इन्तकाल विरासत नहीं हुआ।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया है एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1971 भाग नं. 164 तहसील अलवर पंचायत सर्किल उमरैण पटवार

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

सर्किल उमरैण ग्राम लिवारी के ब्लाकॅ नं. 27 के क्रम संख्या 36 पर प्रार्थी की माता स्वामीबाई पत्नी थददासिंह का अंकन है।

प्रार्थी की माता स्वामीबाई जो की थददासिंह की पहली पत्नी थी। जिसकी संतान प्रार्थीया ने होना अंकित किया है। मुताबिक हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार किसी हिन्दु पुरूष द्वारा प्रथम विवाह से उत्पन्न जायज संतानों को सभी हक व हकूक प्राप्त होगें। उनमें सभी संतानों में पुत्र अथवा पुत्री को बराबर मात्रा में पैतृक सम्पत्ति में हिस्सा देय होगा।

मुताबिक प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में अंकित सजरा अनुसार थददासिंह की प्रथम पत्नी स्वामीबाई (मृतक) जिसके वारिसान प्रार्थी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 लगा. 19 का अंकन है। जिससे प्रार्थी का प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति साबित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5 को ताफैसला वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 552, 630, 499, 722, 732/853, 614, 551, 741, 743, 742, 610, 618 वाके ग्राम लिवारी तहसील अलवर को रहन, बैय, हिब्बा आदि के जरिये किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं करे और प्रार्थी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हिस्से कार्य काश्तकारी में प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण किसी प्रकार की रूकावट और मजाहमत पैदा नहीं करे, ना ही जबरन बेदखल कर कब्जा करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखें जाने हेतु पावन्द किया जाता है। वाद तकमील संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर